बिहार सरकार

शिक्षा विभाग — 224
22/4/2014

संकल्प

विषयः— जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डी0 एल0 एड0 कोर्स) में नामांकन हेतु संकल्प संख्या—12/प्रशिक्षण 89/2007 — 204 दिनांक —19. 06. 2008, संशोधित संकल्प संख्या—12/प्रशिक्षण—89/2007 — 354 दिनांक 25.04.12, संशोधित संकल्प संख्या—20/वि01—14/12 — 463 दिनांक 12.09.2013 एवं संशोधित संकल्प संख्या—12/प्रशिक्षण 89/2007 — 914 दिनांक —16. 12. 2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन।

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून में शिक्षकों के लिए निर्धारित मांपदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की निर्धारित अर्हता को प्राप्त करने हेतु राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डी0 एल0 एड0 कोर्स) में नामांकन हेतु पूर्व में संकल्प संख्या—12/प्रशिक्षण 89/2007 — 204 दिनांक —19. 06. 2008, संशोधित संकल्प संख्या— 12/प्रशिक्षण—89/2007 — 354 दिनांक 25.04.12, संशोधित संकल्प संख्या—20/वि01—14/12 — 463 दिनांक 12.09.2013 एवं संशोधित संकल्प संख्या—12/प्रशिक्षण 89/2007 — 914 दिनांक —16. 12. 2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

2. संकल्प संख्या—12/प्रशिक्षण 89/2007 — 204 दिनांक —19. 06. 2008 में कंडिका 5 के बाद एक अलग कंडिका 5(क) निम्नवत् जोड़ा जाता है —

"राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा स्वीकृत कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन, कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों से तथा शेष 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों से आमंत्रित किया जाएगा"।

3. संकल्प संख्या—12/प्रशिक्षण 89/2007 — 204 दिनांक —19. 06. 2008 की कंडिका 10, संशोधित संकल्प संख्या—20/वि01—14/12 — 463 दिनांक 12.09.2013 की कंडिका 2 को निम्नवत् प्रख्यापित किया जाता है —

"चयन का आधार— ऊपर की कंडिका 2 में वर्णित दोनों श्रेणियों के सीटों के विरूद्ध नामांकन हेतु चयन का आधार अपनी श्रेणी के शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत होगा। नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। मेधा सूची का निर्माण दोनों श्रेणियों में कोटिवार किया जाएगा। समान श्रेणी के नामांकन में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता

दी जाएगी। समान श्रेणी में अंकों का प्रतिशत समान रहने की स्थिति में अधिक उम्रवाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी"।

4. संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण 89/2007 – 204 दिनांक –19. 06. 2008 की कंडिका 10 के बाद 10 (क) निम्नवत् जोड़ा जाता है –

" दोनों श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों में से किसी भी श्रेणी में सीट रिक्त रहने की स्थिति में रिक्त रह गये सीटों के विरूद्ध दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों का नामांकन किया जा सकेगा"।

5. इस परिप्रेक्ष्य में संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण 89/2007 – 204 दिनांक –19. 06. 2008, संशोधित संकल्प संख्या– 12/प्रशिक्षण–89/2007 – 354 दिनांक 25.04.12, संशोधित संकल्प संख्या–20/वि01–14/12 – 463 दिनांक 12.09.2013 एवं संशोधित संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण 89/2007 – 914 दिनांक –16. 12. 2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की संगत कडिकाओं को संशोधित समझा जाए। शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि सभी पदाधिकारियों को प्रेषित की जाए।

(सत्यनारायण)
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक – 12/प्रशिक्षण–89/ 2007......224..... दिनांक 22/4/2014

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 500 प्रतियाँ प्रकाशित कर उपलब्ध करायी जाए।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 12/प्रशिक्षण–89/ 2007......224...... दिनांक 22/4/2014

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना / निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/ सभी प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

संयुक्त सचिव।